राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 3602 / 2006 / झुंझुनू

मांगेलाल उर्फ मांगेराम पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी इस्माईलपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू

....अपीलांट

बनाम

1. रिसाल सिंह
2. सांवलराम
   पुत्रान हरनारायण
3. रामसिंह
4. रूपराम
5. स्वरूप उर्फ सरूया
6. रतनसिंह
   पुत्रान खूबीराम
7. हीरा पुत्र श्योकरण
8. चन्दर पुत्र हीरा का0मु0रामस्वरूप (फोत) के का0मु0–
   8 / 1. विक्रम–पुत्र
   8 / 2. प्रमिला–पुत्री
   8 / 3. शर्मिला–पुत्री
9. दयानन्द पुत्र श्योकरण
   जातियान जाट निवासी इस्माईलपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू
10. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुंझुनू
11. श्रीमती महाकोरी बेवा खूबीराम
12. हरपाल पुत्र हीराराम
13. श्रीमती सावित्री स्त्री प्रसादा
14. मु0संतोष देवी स्त्री चन्द्रपाल
    जाति जाट निवासी इस्माईलपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू

...रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता अपीलांट
श्री हेमंत सौगानी, अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक : 16.12.2021

निर्णय

यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनू द्वारा अपील संख्या 20 / 04 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–5–2006 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी खेतडी के न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि वादी को गत खसरा नंबर 91/1, 92/2, 91/3, 91/4 से बने हाल खसरा नंबर 167, 168, 169, 100, 160/1, 174, 175, 176, 177, 178, 179 कुल किता 11 रकबा 17.18है0 में से 5.08है0 का खातेदार घोषित किया जावे तथा रिकार्ड में न्यायालय द्वारा पारित सन् 1970 के निर्णय व डिक्री के अनुसार दुरूस्ती की जावे तथा भूमि खसरा नंबर 144 रकबा 1.97है0 में वादी का 0.50है0 रकबा दर्ज कर खाता अलग से कायम किया जावे। विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की एवं पक्षकारान के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दर्ज कर एवं उभय पक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 15–1–2004 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–5–2006 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया वादी/अपीलांट ने घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज का वाद उपखण्ड अधिकारी खेतडी के समक्ष दिनांक 18–4–2000 को पेश किया एवं तत्पश्चात् संशोधित वाद दिनांक 21–3–2001 को प्रस्तुत किया। वादी का वाद में यह कथन रहा कि ग्राम इस्माईलपुर तहसील बुहाना में आराजीयात खसरा नंबर 49 रकबा 8 बीघा, 91 रकबा 68 बीघा, 56 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा, 108 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 118 बीघा 17 बिस्वा है। इन भूमियों के बारे में पूर्व में वादी ने एक वाद बंटवारा संख्या 15/68 दिनांक 1–6–1968 को किया था जिसमें वादी ने अपना 1/4 हिस्सा व अन्य हिस्सेदारान श्योकरण, हरनारायण व खूबीराम प्रत्येक का भी 1/4 हिस्सा बताते हुए तकासमा किये जाने की दादरसी चाही। उक्तानुसार वादी का 1/4 हिस्सा मानते हुए वाद दिनांक 8–6–1970 को डिक्री हुआ और वादी के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 49/4 रकबा 2 बीघा, 91/4 रकबा 201 रकबा 1 बिस्वा व खसरा नंबर 108/2 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 29 रकबा 14 बिस्वा आई। सेटलमेन्ट होने पर नवीन खसरा नंबरान व हेक्टर आदि में परिवर्तित हो गये और वादी के हक के खसरा नंबर 91/4 के नवीन खसरा नंबरान का रकबा 5.08 है0 होना था, जो 4–45 है0 ही कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्से में 0.55 है0 तथा प्रतिवादी संख्या 3

लगायत 6 व 11 के हिस्से में 0.33 है0 भूमि अधिक दर्ज कर दी गई। सेटिलमेन्ट विभाग को इस प्रकार से नवीन खसरा नंबरान व रकबों में परिवर्तन करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः वादी ने अपने अधिकार के पूर्व व पूर्ण रकबे की घोषणा चाही वह दुरूस्ती रिकार्ड करने की प्रार्थना की। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद को इंकार किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–1–2004 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया एवं उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 25–5–2006 द्वारा खारिज कर दिया। उनका तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा प्रतिवादी संख्या 12 व 14 के हक में तस्दीक किये गये विक्रय पत्र वादी के अधिकारों पर बेअसर हैं। प्रतिवादी/रेस्पो0 का अपने प्रतिवाद में कहीं भी यह आक्षेप नहीं है कि पूर्व वाद में बंटवारा नहीं हुआ या गलत हुआ अपितु बंटवारा होकर पालना करते हुए फाइनल डिक्री हुई ऐसी अवस्था में दावा संख्या 15/68 में पारित निर्णय व डिक्री पक्षकारान के लिये बाध्यकारी है और इसके कायम रहते हुए अब भिन्न निर्णय नहीं हो सकता। यही नहीं जमाबंदी संवत् 2019 से 2032 के अनुरूप दावा डिक्री हुआ है और उससे अधिक भूमि देने या प्रतिवादी के हक में कायम रखने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। उनका यह भी तर्क है कि प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा जवाब दावे में विभाजन के दावा संख्या 15/68 में पारित निर्णय व डिक्री को चेलेन्ज नहीं किया गया है। ऐसे में दावा संख्या 15/68 में पारित निर्णय व डिक्री पक्षकारान के लिये बाध्यकारी हैं और इसके कायम रहते हुए भिन्न भिन्न निर्णय नहीं हो सकता। यही नहीं जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 के अनुरूप दावा डिक्री हुआ है और उससे अधिक भूमि देने या प्रतिवादी के हक में कायम रखने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गौर किये बिना आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2021 (2) RRT 820, 2020 (1) RRT 24, 2020 (2) RRT 709, 2019 (1) RRT 202, 2020 (2) RRT 1016 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो दिनांक 13–3–2000 को खारिज हुआ तो उसकी अपील करनी चाहिए थी किन्तु अपीलांट द्वारा कोई अपील नहीं की गई तो ऐसे में दिनांक 13–3–2000 के निर्णय के अस्तित्व में रहते अपीलांट दावा नहीं ला सकता है। साथ ही यदि कोई विक्रय पत्र गलत हुए हैं तो उन्हें

सिविल न्यायालय से निरस्त करवाना चाहिए। वादी अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा है, ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादी का वाद एवं अपील खारिज करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

7. प्रकरण में मुख्य तथ्य यह है कि मुकदमा संख्या 15/68 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8–6–1970 का अमल राजस्व अभिलेख में हुआ था और तत्पश्चात् भू प्रबन्ध में उसके अनुसार अभिलेख नहीं बनने का कथन किया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 को निर्णित करते हुए यह अभिमत अंकित किया कि मु.नं. 15/68 के निर्णय व डिक्री दिनांक 8–6–1970 की रिकार्ड में पालना नहीं हुई एवं पक्षकारान ने बाद में सहमति से जिस भूमि पर जो काबिज था का खाता अपने नाम दर्ज करवा लिया अब भूमि के कुछ रकबा में अन्तर आने से यह दावा वादी द्वारा पेश किया गया है। अतः विवाद्यक सं. 1 व 2 वादी की ओर से साबित नहीं है। इसलिये इनका निर्णय वादी के विपरीत किया जाता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकी सं. 1 व 2 पर विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष को त्रुटिपूर्ण मानते हुए निर्णय के पेरा 13 में यह अंकित किया कि– ''योग्य अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि रेकार्ड में पालना नहीं हुई थी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि पालना होने का अभिलेख प्रस्तुत हुआ है। पक्षकारान् की पश्चातवर्ती सहमति को दर्शाने वाला कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में महज कथन के आधार पर इसे विर्विवाद रूप से नहीं माना जा सकता। इस कारण योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निष्कर्ष तनकी सं.1 व 2 के संबंध में त्रुटिपूर्ण है। जहां तक वादी मु.नं. 15/68 निर्णय व डिक्री दिनांक 8.6.70 के मुताबिक अपने अधिकारों की घोषणा करवाने एवं राजस्व रेकार्ड दुरूस्त कराने का अधिकार है यह तनकी अपने आप में इस सीमा तक तो साबित है कि पक्षकारों के मध्य वाद चला था। सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णित हुआ था और उसका अभिलेख में अमल हुआ था तो ऐसी स्थिति में वादी राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी तो बनता है किन्तु वादी ने हाल और साबिक अभिलेख नक्शे के संदर्भ में प्रस्तुत कर ऐसा कोई तुलनात्मक सीमांकन प्रस्तुत नहीं किया है कि वादी के खाते में वर्तमान में दर्ज खसरा नंबरों की नक्शे में स्थिति और आकृति क्या दर्ज है और वह संशोधित होकर

क्या होनी चाहिए और न ही यह विवरण प्रस्तुत है कि प्रतिवादीगण के खातों में दर्ज किन किन खसरा नंबरों में वादी का कितना–2 रकबा दर्ज कर दिया गया है और इस तरह से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खसरा नंबरों के रकबे में जो वादी का रकबा दर्ज हो चुका है उसकी आकृति क्या है और बिना इस आकृति को स्पष्ट किए कोई निर्णय दे देना नए विवाद को जन्म देना है और वादी ने इस तरह का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है न ही वादी ने यह कथन प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादीगण के किस खसरे से कितना रकबा कम किया जाकर वादी के किस खसरे में शामिल किया जाना है। और इसका हाल साबिक के अनुसार क्या औचित्य है बिना इस विवरण के प्रस्तुत किए किसी भी प्रकार की दादरसी दी जाना संभव नहीं है'' ऐसे में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकी सं. 1 व 2 वादी द्वारा सिद्ध करने में विफल रहना माना है एवं यह अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं.1 और 2 के निष्कर्ष तो त्रुटिपूर्ण ढंग से निकाले हैं किन्तु निर्णय में कोई निष्कर्षतः और सारतः भूल नहीं की है। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकी सं.1 व 2 को वादी के विरूद्ध निर्णित किया है, जो उचित है। तनकी संख्या 3 को निर्णित करते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष अंकित किया कि तनकी सं.3 का निर्णय तनकी सं. 1 व 2 को वादी द्वारा सिद्ध करने में विफल रहा है इस कारण इस तनकी का निर्णय भी वादी के विपरीत ही जाएगा क्योंकि जब तक अन्यथा साबित नहीं हो जाता है कि इन विक्रय पत्रों से विक्रय की गई भूमि किसी ऐसे अभिलेख के आधार पर की गई है जो कि विधि के उल्लंघन में बना था और चुनौतीग्रस्त था तब तक तनकी सं.3 के बारे में यही माना जावेगा कि विक्रय सद्भाविक है क्योंकि तनकी सं.1 को वादी सिद्ध करने में विफल रहा है और इसके अभाव में यह साबित नहीं होता कि बेची गई भूमि पूर्व विभाजन के अनुसार वादी थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष पूर्णतया उचित है एवं जिससे हम सहमत हैं। हमने अपीलांट पक्ष की ओर से उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया, हमारे विनम्र मत में तथ्यों की भिन्नता के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द कुमार पुरोहित)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष